

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/टी0-01-07/2017- 988(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 24/12/2018

राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 मो0 मंजर वसीम, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना अतिरिक्त प्रभार (वित्तीय शक्ति सहित) अगले आदेश तक दिया जाता है।

2. प्राचार्य के पद पर नियमित पदस्थापना होने के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(अनिल कुमार)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 988(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 24.12.2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/ सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा0 मो0 मंजर वसीम, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 7,8, 9, 10 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
24.12.18  
सरकार के संयुक्त सचिव  
ह०